

एक विलक्षण व्यक्तित्व



डॉ. एम. चन्ना रेड्डी

आन्ध्र प्रदेश के गौरव एवं भारतीय राजनीति के क्षितिज पर पिछले पाँच दशकों से एक देदीप्यमान सितारे की तरह छाये हुये डॉ. एम. चन्ना रेड्डी अद्भुत व्यक्तित्व व विलक्षण प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति हैं। श्री लक्ष्मा रेड्डी एवं श्रीमती शंकरम्मा रेड्डी के एक मात्र सुपुत्र डॉ. चन्ना रेड्डी का जन्म 13 जनवरी, 1919 को हैदराबाद के निकट विकाराबाद तालुक के मंगलराम ग्राम में हुआ। डॉ. रेड्डी के माता-पिता तेलंगाना के समृद्ध व प्रतिष्ठित कृषक परिवार से हैं और उनका पारिवारिक व्यवसाय कृषि है। डॉ. चन्ना रेड्डी का विवाह 3 मई, 1936 को श्री के. वी. नारायण रेड्डी तथा श्रीमती राजम्मा रेड्डी की सुपुत्री श्रीमती सावित्री देवी के साथ सम्पन्न हुआ। डॉ. रेड्डी के दो पुत्र (श्री एम. रविन्द्र रेड्डी तथा श्री एम. शशिधर रेड्डी) तथा एक पुत्री (श्रीमती वसुधा रेड्डी) हैं।

डॉ. चन्ना रेड्डी की प्रारम्भिक शिक्षा माता-पिता से दूर अपने दो मामाओं की स्नेहिल व सतर्कतापूर्ण देखरेख में हुई। श्री के. वी. रंगा रेड्डी तथा श्री के.वी. नारायण रेड्डी (आंध्र के भूतपूर्व उप-प्रधानमंत्री) राजनीति में सक्रिय थे और उनके सान्निध्य में डॉ. रेड्डी को बचपन से ही राजनीति को नजदीक से देखने व समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

डॉ. रेड्डी ने 9 वर्ष की अल्पायु में ही सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का निर्णय कर लिया था। डॉक्टर बनकर वे समाज सेवा करना चाहते थे और साथ ही स्वतंत्र व्यवसाय रखते हुए राजनीति में भगीदारी भी रखना चाहते थे।

स्कूल शिक्षा के दौरान ही डॉ. रेड्डी ने अपनी संगठनात्मक व रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। अपने क्षेत्र में डॉ. रेड्डी ने एक डिबेटिंग सोसायटी तथा एक शानदार पुस्तकालय बनाया। प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय व स्थानीय समस्याओं पर साधियों के साथ विचार-विमर्श व बहस करना और उत्कृष्ट पुस्तकें पढ़ना, चिंतन-मनन करना आप का बचपन से ही स्वभाव रहा है। शिक्षार्थी जीवन में ही डॉ. रेड्डी ने भारतीय धर्म ग्रन्थों-रामायण, महाभारत, भगवद् गीता, पुराण इत्यादि का अध्ययन किया और उनमें दर्शाये गये सिद्धान्तों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया।

डॉ. रेड्डी ने 1941 में उसमानिया मेडीकल कॉलेज, हैदराबाद से एम. बी. बी. एस. की डिग्री हासिल की। उसके तुरंत बाद सरकारी डॉक्टर की हैसियत से स्थानीय अस्पताल में काम करना प्रारम्भ किया। लेकिन एक बंधी हुई जिन्दगी के प्रति रुझान न होने के कारण डॉ. रेड्डी ने सरकारी डॉक्टर के पद को त्याग कर स्वयं की दो डिस्पेंसरियां स्थापित कीं जहां वे स्वयं रोगियों का मुफ्त इलाज करते थे तथा निःशुल्क दवाइयां व चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते थे।

एक संघर्षशील व्यक्तित्व

डॉ. रेड्डी मेडीकल डॉक्टर के पद पर रहते हुये ही राजनीति में प्रविष्ट हुये। प्रारम्भ में वे सेवादल से जुड़े और अनेक सभाओं में उसका प्रतिनिधित्व किया।

संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी डॉ. रेड्डी निजाम के अधिनायकवादी शासन के दौरान जनता के साथ हो रही ज्यादतियों के प्रति जागरूक थे। एक जन्मजात योद्धा की तरह युवा डॉ. रेड्डी ने अपना राजनैतिक कौशल दिखाना प्रारम्भ कर दिया और जनता को निजाम के खिलाफ आन्दोलन करने के लिए संगठित किया। बहुत छोटी उम्र में ही आन्ध्र प्रदेश के राजनैतिक क्षेत्रों में डॉ. रेड्डी को 'भावी नेता' के रूप में माने जाने लगा था।

डॉ. चन्ना रेड्डी 1946 में आन्ध्र महासभा के जनरल सेक्रेटरी चुने गये। आन्ध्र महासभा का कांग्रेसी तथा साम्यवादियों के बीच विभाजन होने पर डॉ. रेड्डी ने स्वयं को कांग्रेस से सम्बद्ध किया। यह कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध थी। इससे जुड़कर डॉ. रेड्डी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय नेताओं के सम्पर्क में आये।

निजाम विरोधी आन्दोलन को डॉ. रेड्डी राष्ट्रीय नेताओं विशेषकर गांधीजी के आशीर्वाद से गांधीवादी सिद्धान्तों के अनुसार चलाना चाहते थे। इसी आशय से वे हैदराबाद से दिल्ली गये और उन्होंने गांधीजी का आशीर्वाद व सहयोग का आश्वासन पाया। आन्ध्र लौटकर डॉ. रेड्डी ने 'निजाम विरोधी' आन्दोलन का नेतृत्व संभाला। अन्य नेताओं के साथ वे जेल भी गये और लौटने पर जिन नेताओं के साथ निजाम ने समझौता वार्ता की उनमें डॉ. रेड्डी प्रमुख नेता थे। समझौता सही नहीं होने पर जनता ने फिर विद्रोह किया। निजाम ने सहायक सेना (पेरा मिलिटरी), जिसे रजाकार कहा जाता था, को जनता से निपटने का आदेश दिया। रजाकार आन्दोलन एक हिंसात्मक आन्दोलन था जिसका लक्ष्य जनता को आतंकित करके आत्मसमर्पण करने तथा आन्दोलन को वापस लेने

के लिए बाध्य करना था। डॉ. रेड्डी ने पूरी ताकत से इसका विरोध किया और जनता को संगठित करने तथा एकजुट होकर आन्दोलन चलाने को प्रेरित करने के लिए विजयवाड़ा से स्वयं एक साप्ताहिक पत्र हैदराबाद का प्रकाशन किया। डॉ. रेड्डी के प्रेरणादायक लेखों ने लोगों में संघर्ष की शक्ति, उत्साह और आन्दोलन के प्रति दिलचस्पी व निष्ठा उत्पन्न की। जनता की बड़े पैमाने पर भागीदारी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित किया। भारत सरकार ने निजाम के खिलाफ 'पुलिस कार्यवाही' की और अंत में आन्ध्र को भारतीय संघ की 'एक इकाई' के रूप में स्वीकार किया गया।

युवा सांसद

मात्र 29 वर्ष की आयु में सांसद बनने वाले डॉ. रेड्डी संसद के सबसे कम आयु के सदस्य थे। अपने जोशीले भाषणों, उदात्त विचारों और उच्चकोटि की समझ के कारण वे राष्ट्रीय नेताओं के बीच शीघ्र ही लोकप्रिय हो गये। संसद में सदस्यता हासिल करने के आठ दिन के बाद ही उन्हें (1950) सदन का सचेतक (क्लर्क) बना दिया गया। उस समय सदन में तीन क्लर्क होते थे। डॉ. रेड्डी उनमें से एक थे। डॉ. रेड्डी को डॉ. राजगोपालाचार्य, अबुल कलाम आज़ाद, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आशीर्वाद प्राप्त था और सभी बड़े नेता उन पर स्नेह व विश्वास रखते थे।

प्रथम राष्ट्रीय चुनावों में डॉ. रेड्डी ने आन्ध्र विधान सभा का चुनाव लड़ा और विजयी हुये। उन्हें कृषि व खाद्यान्न विभाग मिला। उस समय के आन्ध्र प्रदेश की हालत को देखते हुए यह एक चुनौती पूर्ण विभाग था जिसका डॉ. रेड्डी ने बड़ी कुशलता से संचालन किया। जिस मुस्तैदी, निष्ठा, दृढ़ता और संकल्प के साथ डॉ. रेड्डी ने कृषि व खाद्यान्न की स्थिति सुधारने का काम किया, वह आज भी बेमिसाल माना जाता है।

कृषि के प्रति गहन रुझान

बचपन से कृषि से जुड़े होने के कारण डॉ. रेड्डी की कृषि के क्षेत्र में अच्छी दखल है जिसका प्रयोग उन्होंने कृषि मंत्री के रूप में खाद्यान्न की स्थिति सुधारने के लिए किया। डॉ. रेड्डी ने सन् 1953 में खाद्य मंत्री के रूप में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रिकल्चरल प्रोड्यूसर्स के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। 1955 में रोम में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के उपनेता के रूप में भागीदारी की। इस दौरान डॉ. रेड्डी ने 13 यूरोपीय राज्यों के कृषि अर्थशास्त्र का गहराई से अध्ययन किया। पश्चिमी जर्मनी, स्विटजरलैण्ड, इंग्लैंड में प्रयुक्त की जाने वाली कृषि विषयक तकनीकी जानकारी हासिल करने का भी डॉ. रेड्डी को इन यात्राओं के दौरान अवसर मिला जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया और अपने अनुभव से देश में कृषि विकास कार्यक्रमों को अधिक ठोस व प्रभावकारी बनाया।

डॉ. रेड्डी ने 1953 में राज्य भर के कृषकों का एक संगठन 'एसोसिएशन ऑफ प्रेक्टिसिंग फार्मर्स' बनाया। उसके अध्यक्ष के रूप में डॉ. रेड्डी ने किसान नामक एक कृषि पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ

किया। यह अंग्रेजी, तेलगु, मराठी तथा कन्नड भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होने वाली देश की प्रथम कृषि पत्रिका थी। प्रकाशन के समय इसकी 10,000 प्रतियां दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में तथा देश के अन्य भागों में विक्रि रही थीं।

डॉ. रेड्डी के प्रयासों का राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव हुआ। सन् 1954 में भारत सरकार के कृषि मंत्री डॉ. पंजाब राव देखमुख ने देश भर के कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया तथा 'फारमर्स फोरम' की स्थापना की। डॉ. रेड्डी ने सन् 1952 से 1956 तक अपने कृषि मंत्रित्वकाल में आन्ध्र प्रदेश में कृषि विकास के अनेक कार्यक्रम लागू किये। इसी दौरान कृषि शिक्षा, शोध, विकास, ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी लागू किये गये तथा महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की गई। डॉ. रेड्डी ने सन् 1955 में हिम्मतनगर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जिसके निर्माण का श्रीगणेश डॉ. राधाकृष्णन के आशीर्वाद से किया गया। डॉ. रेड्डी के नेतृत्व में इस महाविद्यालय का विकास हुआ और सरकार ने इसके विकास में हर सम्भव सहायता व मार्गदर्शन प्रदान किया। डॉ. रेड्डी ने कृषि शोध संस्थान की स्थापना की जहां न केवल शिक्षकों व शिक्षार्थियों को ही शिक्षा दी जाती है बल्कि सांसद, विधायक एवं राजनीतिज्ञ भी कृषि विषयक जानकारी हासिल करने के लिए जाते हैं और उनके लिए खासतौर पर बनाये गये पाठ्यक्रमों के अनुसार अध्ययन करते हैं।

आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना (1964) का श्रेय भी डॉ. एम. चन्ना रेड्डी को जाता है। आज यह विश्वविद्यालय देश का एक प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय है जहां 3 कृषि विद्यालय, एक पशु चिकित्सा संस्थान तथा एक गृहविज्ञान महाविद्यालय है। सभी में उत्कृष्ट शोध सुविधायें उपलब्ध हैं। डॉ. रेड्डी ने इस संस्था के विकास में इतनी दिलचस्पी ली कि इसे कभी भी धनाभाव के कारण किसी योजना को निरस्त नहीं करना पड़ा।

डॉ. रेड्डी केवल कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक ही नहीं हैं बल्कि उन्होंने पूरा कृषि कॉम्प्लेक्स विकसित किया है जिसमें एक दर्जन से अधिक उच्च स्तरीय संस्थाएँ जैसे एन.आई.आर.डी., वी.डी.ओ. ट्रेनिंग सेन्टर, ऑल इण्डिया कॉऑरडिनेटेड प्रोजेक्ट ऑफ राइस, सोरगुम, मिलेट इत्यादि, स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डिवेलपमेंट, पंचायती राज कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज इत्यादि स्थित हैं।

सिंचाई योजनाओं को महत्त्व

आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई साधनों में डॉ. रेड्डी के मंत्रित्वकाल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। तुंगभद्रा लेफ्ट कैनाल की योजना डॉ. रेड्डी के द्वारा प्रारम्भ की गई। नागार्जुन सागर बांध की आधारशिला डॉ. रेड्डी के मंत्रित्वकाल में ही रखी गई। उनके अतुलनीय सहयोग के लिए डॉ. रेड्डी को आंध्र प्रदेश के 'सिंचाई साधनों का संरक्षक' कहा जाता है। तेलंगाना क्षेत्रीय समिति की योजना एवं विकास उप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. रेड्डी ने 38 अत्यन्त महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स तैयार की थीं जिसमें विकास विषयक योजनाओं, सिंचाई साधनों, विद्युत् उत्पादन एवं ऊर्जा संरक्षण के बारे में विस्तृत व सारगर्भित जानकारी संचित की गई थी। ये रिपोर्ट्स आंध्र प्रदेश के विकास कार्यक्रमों की बाद में आधार बनीं।

आन्ध्र प्रदेश विधान सभा की एस्टीमेट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉ. रेड्डी ने गोदावरी व कृष्णा नदियों के समुचित उपयोग एवं उस क्षेत्र में स्थित कोयला खानों के विकास पर जोर दिया था। डॉ. रेड्डी का मानना है कि राज्य का पिछड़ापन व राज्य में व्याप्त असंतोष का सबसे बड़ा कारण उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग नहीं किया जाना है। यदि साधनों का उचित प्रयोग करके विकास किया जाये और रोजगार बढ़ाया जाये तो राज्य का पिछड़ापन दूर हो सकता है इसी आशय से डॉ. रेड्डी ने आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वारांगल, खामाम, नालगोन्डा के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये इलाकों का विकास करने के लिए पोचमपेड़ बांध (जिसे श्री रामसागर कहा जाता है) के निर्माण पर जोर दिया। सन् 1963 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस बांध के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। डॉ. रेड्डी वर्ष 1957 से 1962 तक सत्ता से बाहर रहे लेकिन इस दौरान वे कभी भी सार्वजनिक कार्यों एवं राजनीति से अलग नहीं रहे। सामज विकास के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सत्ता से बाहर रहकर भी वे जन आकर्षण के केन्द्र बने रहे और उसी आधार पर वर्ष 1962 में पुनः आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुये। सन् 1962 से 1967 तक डॉ. रेड्डी केबिनेट मंत्री रहे और समय-समय पर योजना, पंचायती राज, उद्योग एवं वित्त विभागों से सम्बद्ध रहे।

लौह पुरुष

डॉ. रेड्डी व्यक्तित्व की दृढ़ता और उनकी संघर्षशीलता के कारण एक फौलादी योद्धा तो नजर आते ही हैं वे वर्ष 1968 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में इस्पात, खनिज एवं धातु विभाग के मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस के विभाजन के बाद डॉ. चन्ना रेड्डी का उनके सशक्त व्यक्तित्व, कार्यकुशलता व राजनैतिक सूझबूझ के कारण श्रीमती गांधी ने उन्हें आंध्र की सीमित राजनीति से बाहर निकाल कर केन्द्रीय मंत्री के रूप में स्थापित किया था। इस्पात व खनिज मंत्री के रूप में डॉ. रेड्डी ने देश भर में इस्पात उत्पादन व उद्योग के क्षेत्र में जो सुधार, कार्यक्रम व योजनाएँ लागू कीं उनका लाभ राष्ट्र आज भी उठा रहा है और अनेक सुधार आज भी यथावत् जारी हैं।

डॉ. रेड्डी आंध्र प्रदेश में भी सन् 1964-67 तक इस्पात मंत्री रहे हैं। उस दौरान राज्य व्यापी इस्पात उत्पादन परिवर्द्धन कार्यक्रम लागू किया गया। उद्योग निदेशालयों में तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित किये गये। इस्पात उत्पादन की सम्भावनाओं का विशद अध्ययन न करने और सरकार को परामर्श देने के लिए पेशेवर विशेषज्ञों को निदेशालयों से सम्बद्ध किया गया। आन्ध्र प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान जैसे आई.डी.पी.एल., बी.एच.ई.एल. एच.एम.टी. इत्यादि डॉ. रेड्डी के मंत्रित्वकाल में ही स्थापित हुए। ऐग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की स्थापना भी वर्ष 1964-1967 के दौरान ही हुई। आज आंध्र प्रदेश अपने 262 मध्यम और बड़े उद्योगों तथा लगभग 500 करोड़ के औद्योगिक विनियोजन पर गर्व कर सकता है। इन उद्योगों में 2 लाख से अधिक व्यक्ति रोजगार हासिल कर सके हैं। डॉ. रेड्डी की दूरदर्शिता और फौलादी कर्मठता ने आंध्र के औद्योगिक विकास की आधारशिला रखी तथा उसे आज के विकसित मुकाम तक पहुंचाया।

केन्द्रीय इस्पात व खनिज मंत्री पद के बाद सन् 1968 में डॉ. रेड्डी पुनः अपने राज्य आन्ध्र में लौटे और वहां की राजनीति में सक्रिय हुये।

तेलंगाना आन्दोलन की कमान

डॉ. रेड्डी प्रारम्भ से ही छोटे राज्यों की स्थापना व जनता को राज्यों के प्रशासन व संचालन में अधिकाधिक भागीदारी देने के समर्थक रहे हैं। तेलंगाना राज्य की मांग कर रहे आन्दोलन से जुड़ कर डॉ. रेड्डी ने इसे नई व सकारात्मक दिशा दी। आन्दोलन का प्रभाव व लोकप्रियता इतनी बढ़ी की समूचा क्षेत्र डॉ. रेड्डी का प्रबल समर्थक बन गया। इसका प्रमाण वर्ष 1971 के संसदीय चुनावों में देखने को मिला। इस चुनाव में केवल तीन चुनाव क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में डॉ. रेड्डी के समर्थक निर्वाचित हुए।

डॉ. रेड्डी की चुनावों में शानदार विजय ने केन्द्रीय सरकार को उनके पक्ष की प्रबलता, ईमानदारी व कटिबद्धता के बारे में आश्चर्य किया। सरकार ने डॉ. रेड्डी के सहयोग से आन्दोलनकारियों से समझौता-वार्ता प्रारम्भ की। एक 6-सूत्री फार्मूला तैयार किया गया जिसके अनुसार आन्दोलनकारियों व सरकार के बीच सहयोग व विश्वास का एक रास्ता निकाला गया। लेकिन थोड़े समय बाद ही जब डॉ. रेड्डी ने देखा कि सरकार समझौते को लागू करने के बारे में ईमानदारी नहीं बरत रही है, उन्होंने पुनः जनता का समर्थन किया और आन्दोलन फिर सक्रिय हो गया। एक बार दुबारा डॉ. रेड्डी के सहयोग से द्वितीय 6-सूत्री फार्मूला बनाया गया और उसे मुस्तैदी व ईमानदारी से लागू किये जाने के आश्वासन पर ही आन्दोलन बंद किया जा सका।

दूरदर्शी व सजग राज्यपाल (उत्तर प्रदेश - 1974-77)

डॉ. चन्ना रेड्डी 1974 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन हुए। उत्तर प्रदेश एक विशाल आबादी वाला विषम राजनैतिक व आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त राज्य रहा है। डॉ. रेड्डी ने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में राज्य का आर्थिक, प्रशासनिक व विकास विषयक कार्याकल्प कर दिया। इन मसलों पर उन्होंने सरकार की केबिनेट के साथ पूरी तरह जुड़कर काम करवाया और जनता की समस्याओं को सुलझाने में सही माने में 'राज्यपाल' (राज्य का संरक्षक) होने के दायित्व का निर्वहन किया।

डॉ. रेड्डी स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति हैं और देश की धार्मिक विरासत व पूजास्थलों के प्रति बेहद रुझान रखते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी पूजास्थलों, तीर्थ स्थानों, धार्मिक व परोपकारी संस्थानों की संगठनात्मक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास किया। पूजास्थलों की पवित्रता की देखभाल उन्हें स्वच्छ, दर्शनीय व खूबसूरत बनाकर की जा सकती है। डॉ. रेड्डी के नेतृत्व में 'स्वच्छता अभियान' चलाया गया और मंदिरों, मठों, पूजास्थलों का सौन्दर्यीकरण किया गया। वहां जाने वाली सड़कों व रास्तों का जीर्णोद्धार हुआ और दर्शकों व भक्तों के लिए आराम से ठहरने एवं रहने की सुविधाओं का विकास किया गया।

डॉ. रेड्डी 'अस्थायी' या काम चलाऊ काम में विश्वास नहीं करते। जो कुछ उन्होंने किया उसे वे 'कानून के रूप में' छोड़ना चाहते थे ताकि उनके उत्तर प्रदेश से जाने के बाद व्यवस्था पुनः बिगड़े नहीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से कहा कि वे प्रशासकों की एक टीम को आन्ध्र प्रदेश भेजें और वहां मंदिर व धार्मिक रख-रखाव के लिए बनाये गये (डॉ. रेड्डी के नेतृत्वकाल में ही) हिन्दु रिलीजियस इन्डोवमेंट एक्ट का अध्ययन करें तथा उसी के अनुरूप कानून उत्तर प्रदेश के लिये बनाये। इस तरह के एक्ट आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में बने हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में डॉ. रेड्डी ने इस विशाल भू-भाग के लगभग हर क्षेत्र का दौरा किया और जनता से सीधे सम्पर्क करके प्रदेश की भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक व प्रशासनिक समस्याओं को समझने का प्रयास किया। भूमि सुधार, कृषि सुधार, सिंचाई साधनों की वृद्धि, बिजली उत्पादन में वृद्धि तथा वेस्टलैण्ड सुधार के कार्यक्रम लागू किये।

डॉ. रेड्डी ने सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिवार के लिए अनेक उपयोगी कार्यक्रम लागू करवाये। अनेक उजाड़ जंगलों को साफ करके रिहायशी कॉलोनियों में परिणत किया और सेवानिवृत्त सैनिकों को मकान बनाने तथा कृषि करने के लिए भूमि आवंटित करवाई। लाभान्वित परिवार आज भी डॉ. रेड्डी को स्नेह व श्रद्धा से याद करते हैं।

शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो डॉ. रेड्डी की प्रशासनिक कुशलता व सूक्ष्मदर्शी निगाह से बचा रहा हो। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो भी काम वे हाथ में लेते हैं पूरी दृढ़ता से उसे सफलतापूर्वक अंजाम देने में जुट जाते हैं। एक 'कर्मयोगी' की तरह कर्म में उनका विश्वास है और काम में ही उन्हें आनन्द व संतोष का अनुभव होता है।

उत्तर प्रदेश के 17 विश्वविद्यालयों (1974) के कुलाधिपाति के रूप में डॉ. रेड्डी ने वहां के बीमार विश्वविद्यालयों की 'शल्य चिकित्सा' की और उन्हें नया जीवन प्रदान किया। उच्च शिक्षा तथा प्राथमिक स्कूली शिक्षा दोनों में ही डॉ. रेड्डी ने समान रुचि दिखाई और चरित्र निर्माण की इन संस्थाओं का स्तर व योग्यता सुधारने का भरसक प्रयास किया।

डॉ. रेड्डी से मिलने वाले सहज संरक्षण तथा सहयोग से अनेक गैर-सरकारी परोपकारी तथा विकास विषयक संस्थानों की स्थापना हो सकी। उनकी प्रेरणा और 'रचनात्मक आलोचना' ने इन संगठनों को ठोस सामाजिक कार्यक्रम बनाने को प्रेरित किया। डॉ. रेड्डी जिस भी संस्था से जुड़ते हैं वे उसकी प्रगति का मॉनिटरिंग चाहते हैं और परिणामों पर उनकी निगाह उतनी ही पैनी होती है जितनी उसकी प्रक्रिया पर।

अस्पतालों व डिस्पेंसिरियों की स्थिति सुधारने, बीमारों को स्वच्छ वातावरण में रह सकने लायक सुविधाओं के निर्माण में भी डॉ. रेड्डी ने अनेक कदम उठाये। पूरे राज्य (उत्तर प्रदेश) में हर दूर दराज के जिले में 'रेड क्रॉस' की शाखाएँ खुलवाई तथा बीमारों को "रक्त" आसानी से सुलभ कराये जाने का काम उन्हें सौंपा। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क रक्त सुलभ कराने की व्यवस्था की गई।

एक अच्छे व जिम्मेदार पिता की तरह उन्होंने बच्चों की शिक्षा को उपयोगी व ग्राह्य बनाने पर जोर दिया। खेलकूद की प्रवृत्तियों को बढ़ावा, खेल के मैदान व अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी, मनोरंजन, नृत्य, संगीत के साथ-साथ थियेटर पर भी डॉ. रेड्डी ने बहुत जोर दिया। डॉ. रेड्डी कहते हैं कि 'बच्चे सूरज मुछी का फूल हैं जिधर से भी उन्हें अच्छाई व उदारता का प्रकाश मिलता है, उधर ही वे मुड़ जाते हैं।' अतः यह ज्ञान व उदात्त का प्रकाश उन्हें हमेशा मिल सके इसके लिए पूरे समाज, सरकार व प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए आदर्श व उत्कृष्ट साहित्य के प्रकाशन पर भी डॉ. रेड्डी ने बहुत जोर दिया।

राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1975 में थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इस दौरान डॉ. रेड्डी को वे सब काम करने का अवसर मिला जिन्हें सरकार राजनैतिक व दलगत विरोध व असहयोग के कारण नहीं कर पाई थी। सिर्फ 55 दिन के अपने शासन में उन्होंने राज्य की प्रशासनिक मुस्तेदी को इतना बढ़ाया कि सारी व्यवस्था एक अनुशासित रूप में चल पड़ी। राज्यपाल की असली क्षमता का पता भी राष्ट्रपति शासन के दौरान ही चलता है और तभी एक योग्य, कुशल व अच्छे प्रशासक के रूप में वे अपना परिचय दे सकते हैं। डॉ. रेड्डी के "शासनकाल" (राष्ट्रपति शासन के दौरान) में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों के लिए डॉ. रेड्डी को बेहद प्रशंसा मिली। **पॉयनियर** समाचारपत्र ने लिखा कि डॉ. रेड्डी की सफलताएं अभूतपूर्व हैं। "पहले कभी भी इतने कम समय में इतना सब कुछ और वह भी सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा राज्य के लिए नहीं किया गया।"

सत्ता के जनतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के प्रबल समर्थक

डॉ. रेड्डी सरकार, प्रशासन व विकास कार्यों में जनता की भागीदारी के पक्षधर हैं। वे किसी भी पद पर रहे हों जनता से दूर कभी नहीं रहे। जनता की नजर पर हाथ रखे बिना उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता। यही कारण है कि अपने हर कार्यकाल में चाहे वह विधायक का रहा हो या मुख्य मंत्री का, केन्द्रीय मंत्री का रहा हो या राज्य मंत्री का, या राज्यपाल का, जनता से सीधा सम्पर्क उनके लिए अत्यन्त आवश्यक रहा है।

डॉ. रेड्डी का विचार है कि सामुदायिक विकास को एक आन्दोलन के रूप में लिया जाना चाहिए। इस आन्दोलन के प्रणेता, कर्णधार व संचालक जनता में से ही निकलने चाहिए और उन्हीं के माध्यम से इसे जनमानस में पहुंचाया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के सामुदायिक विकास मंत्री और बाद में पंचायती राज मंत्री के रूप में डॉ. रेड्डी ने ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का संचालन इतनी कुशलता से किया कि सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रति जनता की जागरूकता, उत्साह और भाग लेने की इच्छा सब जगह नजर आने लगी।

डॉ. रेड्डी जनतंत्रीय विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते हैं और प्रारम्भिक इकाइयों— ग्रामीण विकास की संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं के विकास व क्षमतावर्द्धन पर बहुत जोर देते हैं।

डॉ. रेड्डी का विश्वास है कि सामुदायिक विकास योजनाओं और समग्र ग्रामीण विकास को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है।

पंचायती राज के लिए प्रतिबद्धता

डॉ. रेड्डी ने सातवें दशक से ही पंचायती राज संस्थाओं के विकास, संवर्धन एवं उनकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। वे चाहते हैं कि चाहे आरम्भ में क्षमता कम नज़र आये, कुछ नुकसान भी हो लेकिन फिर भी पंचायतों को सही माने में उनके अधिकारों के प्रयोग का अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य का हस्तक्षेप केवल एक हितवर्धक पर्यवेक्षक '(बेनेवोलेंट आर्बिटर)' जैसा होना चाहिए। पंचायतों की आय के साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए और राज्य की आय का एक निश्चित हिस्सा (30 प्रतिशत तक) पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। डॉ. रेड्डी जनतंत्र की प्रक्रिया में 'सेल्फ कोर्रिक्टिंग मेकेनिज्म' के विकास के पक्षधर हैं और मानते हैं कि अनुभव से ही यह 'मेकेनिज्म' विकसित हो सकता है।

समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए संवेदना व कसक

डॉ. रेड्डी ने वर्ष 1978 में अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में समाज के पिछड़े व कमज़ोर वर्गों के विकास की अनेक सशक्त योजनाएं लागू कीं और बजट का बड़ा हिस्सा कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए दिया। इस दौरान 'विशिष्ट रोज़गार योजनाएं' लागू की गईं और कमज़ोर वर्ग के शिक्षित नौजवानों को 'स्व-संचालित उद्योगों' में लगाने की दिशा में काम किया गया। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों तथा पिछड़े वर्ग के 50 हजार लोगों के लिए व्यावहारिक ट्रेनिंग तथा कला, घरेलू दस्तकारी, छोटे उद्योग, व्यापार तथा घरेलू व पारिवारिक आधार पर चलाये जा सकने वाले उद्योगों के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई।

बड़े मंदिरों को पुराने जमाने में दी गई बड़ी-बड़ी ज़मीनों का उपयोग समाज कल्याण के कार्यों में किये जाने पर जोर दिया। डॉ. रेड्डी के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में कमज़ोर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया और हर स्तर पर 'रिजर्वेशन' के माध्यम से उनकी भागीदारी में वृद्धि की गई।

गांवों को शहरों से तथा गांवों को गांवों से जोड़ने के लिए 'विलेज लिंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम' विकसित किया गया। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 57470 मकान बनाये गये। यह कार्यक्रम अभूतपूर्व व दूरगामी स्तर पर लाभकारी माना गया है।

महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने और उन्हें व्यक्तित्व का विकास करने तथा समाज में सम्मानित जीवन बिताने के अवसर देने का भरपूर प्रयास किया गया। महिलाओं को स्व-संचालित उद्योग चलाने, सहकारी स्तर पर उद्योग व व्यापार चलाने के लिए ऋण व शिक्षा की व्यवस्था की गई। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने की कई योजनाएँ डॉ. रेड्डी के मुख्य मंत्रित्वकाल में लागू की गईं।

जवाहर बाल भवन (हैदराबाद) तथा इसी तरह के अन्य बाल भवन अनेक शहरों में (आन्ध्र में और उत्तर प्रदेश में भी) डॉ. रेड्डी के प्रयास से बनाये गये। हैदराबाद का प्रियदर्शिनी इन्डोर ऑडीटोरियम बच्चों के हितों में डॉ. रेड्डी की दिलचस्पी का एक सुन्दर उदाहरण है। इसकी क्षमता 800 सीटों की है। बच्चों के धियेटर पर भी डॉ. रेड्डी ने बहुत जोर दिया। वे अभिनय प्रतिभा को व्यक्तित्व के विकास का सशक्त माध्यम मानते हैं।

अल्पसंख्यकों के प्रति सद्भाव

डॉ. रेड्डी हैदराबाद की सांस्कृतिक विरासत के उत्कृष्ट प्रतिनिधि हैं। उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में अच्छी दखल के कारण उनके संप्रेषण का दायरा बहुत बड़ा है। साम्प्रदायिक सद्भाव और भातृत्व आधारित मेल-मिलाप को डॉ. रेड्डी ने हमेशा बढ़ावा दिया है। आन्ध्र प्रदेश की राजनीति में साम्प्रदायिक, भाषायी व धार्मिक आधार पर टकराव रोकने की हमेशा चेष्टा की है। डॉ. रेड्डी अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में ही नहीं बल्कि सदैव इस चेष्टा में रहे कि अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा सके और वे अन्य वर्गों की तुलना में पीछे नहीं रहें। डॉ. रेड्डी ने राज्य मंत्रिमण्डल में केबिनेट स्तर पर कई मुस्लिम मंत्री नियुक्त किये तथा उन्हें महत्वपूर्ण विभाग व जिम्मेदारियां सौंपी।

उत्कृष्टता के लिए रुझान

डॉ. रेड्डी 'परफेक्शनिस्ट' हैं और हर क्षेत्र में नफासत, उत्कृष्टता व परिष्कृत कार्यशैली को पसंद करते हैं। निकम्मापन, आलस्य, टालमटोल, नौकरशाहिक धीमापन और अकुशलता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। नौकरशाही के लिए उनका रवैया हमेशा सख्त रहा है। वे उनसे अधिकाधिक 'परिणाम' की आशा रखते हैं और सत्ता में बैठकर 'हार्ड टास्कमास्टर' की तरह प्रशासनिक कुशलता के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं।

वे स्वयं के प्रति भी उतने ही 'कठोर' हैं जितने अपने सहयोगियों व मातहतों के प्रति। कोई भी मुद्दा हो वे स्वयं पर्याप्त अध्ययन, शोध, विस्लेषण व पूरा 'होमवर्क' करके ही बात करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जो भी उनसे मिलने आये वह उतनी ही तैयारी करके आये ताकि 'प्रिलिमिनरीज' पर अधिक समय बर्बाद न किया जाये।

डॉ. रेड्डी काम में मुस्तैदी चाहते हैं पर काम करने वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और दृढ़ता की आशा करते हैं। 'स्लेविश' लोग उन्हें पसंद नहीं हैं और न ही वे अनावश्यक व गलत तरीफ करने वालों को पसंद करते हैं।

अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को सकारात्मक रूप से व्यस्त रखना उन्हें भलीभांति आता है। अर्थशास्त्री से अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हो रहे नये परिवर्तनों के बारे में, वैज्ञानिक से पर्यावरण, जन संसाधन, ऊर्जा, कृषि इत्यादि के विकास के बारे में, भू-गर्भ शास्त्री को खनिज

साधनों के रख रखाव पर नोट देने के लिए वे कभी भी कह सकते हैं। इसी तरह उनकी जानकारी का विस्तार होता है और हर आने वालों “नोट” के साथ उनके पास आधुनिकतम जानकारी का संचय हो जाता है। डॉ. रेड्डी किसी भी बात पर एकदम विश्वास नहीं करते। वे स्वयं अध्ययन करके या रेन्डम, ‘क्रास चैकिंग’ से कही हुई बात की सत्यता का परीक्षण अवश्य करते हैं। यही कारण है कि डॉ. रेड्डी के समक्ष बैठ कर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक व “नकली” जानकारी नहीं दे सकता है। विशिष्ट योग्यता की डॉ. रेड्डी हमेशा प्रशंसा करते हैं और योग्य व्यक्ति को हरसम्भव प्रोत्साहन देने की कोशिश में रहते हैं। राजस्थान में बैठकर भी उन्हें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या पंजाब में मिले सुयोग्य विशेषज्ञ की योग्यता का ख्याल रहता है और आवश्यकता पड़ने पर वे तुरन्त सम्पर्क स्थापित करते हैं।

फ्रांस की शैली पर उन्होंने इस्पात मंत्री के रूप में विशेषज्ञों की एक समिति को मंत्रालय से जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। “थिंक टैंक” (विचार प्रकोष्ठ) संस्थायें डॉ. रेड्डी के प्रोत्साहन पर ही शुरू हुईं और आज मुख्य मंत्रालयों में उनका चलन बढ़ रहा है।

व्यक्तिगत करिश्मा

डॉ. रेड्डी के व्यक्तित्व में जबरदस्त ‘करिश्मा’ है। सत्ता के भीतर रहे हों या सत्ता से बाहर वे हमेशा संचार माध्यमों की नजर में रहे हैं। उनकी हर गतिविधि को समाचार पत्रों व कैमरों ने गिरफ्तार किया है। एक बेबाक, निडर, साहसी व्यक्तित्व, संवेदनशील मन और एक फौलादी ‘बाह्य’ के भीतर अति कोमल हृदय लेकर डॉ. रेड्डी में जनता के दिलों में सीधे उतरने का साहस है। यही उनकी लोकप्रियता का कारण है। आंध्र से बाहर रहकर आंध्रवासियों के हृदय की धड़कन बने रहना डॉ. रेड्डी के व्यक्तिगत करिश्मे का ही प्रभाव है।

एक अद्भुत व्यक्ति

डॉ. रेड्डी अत्यन्त धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं। भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व धार्मिक विरासत में गहरी रुचि के कारण उन्होंने धार्मिक ग्रन्थों का गहराई से अध्ययन किया है। सब धर्मों के प्रति उनका समान सम्मान है। कोई भी मंदिर हो, मठ हो, महन्त हो, संत हो, फकीर हो डॉ. रेड्डी उससे बाल-सुलभ जिज्ञासा और खुले मन से मिलते हैं और उनकी बातों में से अपने लिये उपयुक्त शिक्षा की बातें चुन लेते हैं। उदारता, त्याग और उदात्त विचारों का वे आदर करते हैं।

डॉ. रेड्डी केवल मित्रों के मित्र ही नहीं बल्कि विरोधियों के मित्र भी हैं। विरोधी की तथा उनके साथियों की बात को उतनी ही सहृदयता से सुनते हैं जितनी अन्य लोगों की। राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश, पंजाब व राजस्थान सभी जगह मुख्यमंत्रियों व सरकारों के साथ उनके ‘उचित’ (करेक्ट) संबंध रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर वे उनके मित्र व बरिष्ठ हितैषी भी रहे हैं।

राजस्थान के राज्यपाल

डॉ. रेड्डी ने 5 फरवरी, 1992 को राजस्थान के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। पचास वर्षों के विलक्षण राजनैतिक अनुभव और प्रभावशाली व्यक्तित्व से सम्पन्न डॉ. रेड्डी में राजस्थान के हर व्यक्ति की दिलचस्पी है। पत्रकार, बुद्धिजीवी, व्यापारी, व्यवसायी, कलाकार, समाज सेवी, संगीतज्ञ, धार्मिक विचारक व संत तथा संस्थान डॉ. रेड्डी से सम्पर्क रखते हैं और उन्हें हितैषी व मित्र मानते हैं।

राजस्थान में आगमन के तुरन्त बाद ही डॉ. रेड्डी ने पूरे राज्य का दौरा किया है। वे हर क्षेत्र में गये व्यक्तियों से मिले तथा उन्होंने प्रशासन को देखा और योजनाओं के क्रियान्वयन व उनकी सफलताओं का मूल्यांकन किया। पूरे अध्ययन व अवलोकन के बाद ही राजस्थान में अपने लक्ष्यों का एक 'कैलेन्डर' (कार्यक्रम) निर्धारित किया है। इसमें अकाल राहत, अकाल व सूखे का निराकरण, जनसंख्या नियंत्रण, अशिक्षा निवारण, महिला साक्षरता को बढ़ावा, बालिका शिशु की स्थिति में सुधार, महिलाओं को सामाजिक संरक्षण व शासकीय सुरक्षा, पिछड़े वर्गों को रोजगार, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का उत्थान, पेयजल की सहज उपलब्धि, ऊर्जा संरक्षण व संवर्धन, वन विकास, बाल विवाह पर रोक, धार्मिक संस्थानों तथा ऐतिहासिक स्मारकों व प्रतीक चिन्हों का उचित रख रखाव डॉ. रेड्डी के 'कैलेन्डर' में प्राथमिकता रखते हैं। इस कैलेन्डर को सही माने में लागू करने और लागू की गई योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग करके उनके परिणामों व 'प्रभावों' पर डॉ. रेड्डी की निरन्तर निगाह है। वे इस संदर्भ में सरकार व प्रशासन को हमेशा आगाह करते रहे हैं।

राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत व कला के प्रति रुझान

डॉ. रेड्डी राजस्थान की वीरता व शौर्य के इतिहास और रंगीन संस्कृति के प्रति बेहद रुझान रखते हैं। लोक कलाकारों व स्थानीय संगीत, नृत्य, अभिनय से सम्बद्ध कलाकारों के कल्याण व उत्थान के लिए प्रयत्नशील हैं।

राजभवन के द्वार जनता के लिए इस तरह खोल दिये गये हैं जैसे वह 'राजभवन' नहीं जनता का अपना सम्पर्क सूत्र है। डॉ. रेड्डी ने सभी त्योहारों, ईद, क्रिसमस, होली, दीवाली, दशहरा, दुर्गापूजा, इत्यादि को जनता के साथ मिलकर राजभवन में मनाये जाने की परम्परा को प्रारम्भ किया है। ईद पर आयोजित 'मुशाफरा', दीवाली पर 'जगमग ज्योति जले' कार्यक्रम तथा राजस्थानी नृत्य, नृत्य नाटिका, शास्त्रीय संगीत की अनेक संध्याओं का आयोजन राजभवन में किया जा चुका है। राजभवन की एक उच्च स्तरीय सांस्कृतिक समिति है जिसमें समाज के प्रतिष्ठित नागरिक व कलाकार सदस्य हैं।

डॉ. रेड्डी ने देलवाड़ा के मंदिरों, रणकपुर के ऐतिहासिक स्मारकों एवं अन्य भव्य किलों व स्मारकों के रख रखाव में गहरी रुचि दिखाई है। लोक कलाओं, लोक संगीत व संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के कार्यक्रम प्रारम्भ करवाने के लिए डॉ. रेड्डी ने राज्य सरकार से आग्रह किया है।

कला के प्रश्रय में समाज को महत्वपूर्ण भूमिका अपनानी चाहिये यह बात डॉ. रेड्डी अपने अनेक भाषणों में कह चुके हैं। सामाजिक विकास के कार्यों के लिए हमेशा सरकार का मुंह देखना समाज के कमजोर और असंगठित होने का संकेत है। डॉ. रेड्डी का मानना है कि गैर सरकारी संगठन व निजी संस्थानों, प्रतिष्ठानों को कला के प्रोत्साहन में आगे आना चाहिए।

महिला साक्षरता एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति के सुधार में दिलचस्पी

डॉ. रेड्डी महिलाओं को समाज की नींव मानते हैं और महिलाओं की कमजोर स्थिति के प्रति चिंतित हैं। राजस्थान में महिलाओं का पुरुष के अनुपात में कम प्रतिशत तथा उनकी असुरक्षित स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार को अनेक परामर्श डॉ. रेड्डी ने राज्यपाल के रूप में दिये हैं। महिला साक्षरता की दर में कमी को डॉ. रेड्डी एक 'अशुभ संकेत' मानते हैं और महिला साक्षरता व परिवार नियोजन में सीधे संबंध होने के कारण साक्षरता व महिला शिक्षा को एक अभियान या आन्दोलन के रूप में प्राथमिकता दिलवाना चाहते हैं।

राज्य के अनेक महिला संगठन राज्यपाल से समय-समय पर मिलते हैं और राज्य में महिलाओं पर हुये अत्याचार व उत्पीड़न के निराकरण के लिए किये जा रहे उनके प्रयासों को भरपूर सहयोग व प्रोत्साहन दे रहे हैं।

एक सजग व सक्रिय कुलाधिपति

राजस्थान के पांचों विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में डॉ. रेड्डी ने राज्यपाल का पदभार संभालने के तुरंत बाद ही विश्वविद्यालयों की स्थिति का जायजा लेना शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में निरंतर आ रही गिरावट, शिक्षण संस्थाओं में व्यवस्था का अभाव, भ्रष्टाचार, योग्य व्यक्तियों के साथ अन्याय, बढ़ती हुई हिंसा, अराजकता एवं अनुशासनहीनता राजस्थान के विश्वविद्यालयों में भी व्याप्त है। डॉ. रेड्डी ने इन बुराइयों का निराकरण करके विश्वविद्यालयों को सही माने में शिक्षा मंदिर बनाने का अभियान चला रखा है।

शिक्षा के क्षेत्र में कुलाधिपति ने कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। विश्वविद्यालयों के लिए समान एक्ट, नियम इत्यादि होने चाहिए। एक सा शैक्षणिक सत्र, कैलेंडर, पाठ्यक्रम एवं शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के व्यवहार व कार्य विषयक तथा सेवा संबंधी नियम होने चाहिए। राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग कुलाधिपति द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य कर रहा है।

डॉ. रेड्डी राजस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए एक और कृषि विश्वविद्यालय एवं एक अलग मेडीकल विश्वविद्यालय तथा एक प्रावैधिक विश्वविद्यालय खोलने के पक्ष में हैं। शिक्षण पाठ्यक्रमों में मार्शल आर्ट्स, खेलकूद, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा अन्य शिक्षणोत्तर गतिविधियों को शामिल किये जाने पर डॉ. रेड्डी जोर देना चाहते हैं। विद्यार्थियों की युवा मानव रिसोर्स के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है और राष्ट्र निर्माण के कार्य में उनकी भागीदारी किस तरह बढ़ाई जाए कुलाधिपति इस दिशा में प्रयत्नशील हैं।

राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान

डॉ. रेड्डी ने राजस्थान आते ही राजभवन में सारा कार्य हिन्दी में करने पर जोर देना शुरू किया। वे स्वयं अच्छी हिन्दी जानते हैं और जहां तक संभव होता है हिन्दी में ही बात करते हैं और भाषण देते हैं। डॉ. रेड्डी चाहते हैं कि भाषा यदि ठोस एवं सशक्त होती है अर्थात् शोध व उच्चकोटि के लेखन से प्रचुर होती है तो साथ ही साथ उसका क्षेत्रीय विकास अर्थात् उसका फैलाव या प्रसार भी होना चाहिए। हिन्दी के साहित्यकार उसके क्षेत्रीय विकास पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुलाधिपति चाहते हैं कि साहित्य को सम्पूर्ण देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, विचार, दर्शन व परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। वर्तमान हिन्दी साहित्य में दक्षिण भारत की संस्कृति, इतिहास, प्राकृतिक धरोहर एवं धार्मिक व सामाजिक विरासत को पूरी तरह प्रतिबिम्बित नहीं किया जा रहा है। हिन्दी साहित्यकारों को इस कमी को पूरा करना चाहिए।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर जोर

डॉ. रेड्डी बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के पक्ष में हैं। वैसे तो शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है लेकिन राजस्थान में महिला शिक्षा व साक्षरता की बहुत नीची दर सम्पूर्ण समाज के लिए चिंता का विषय है। बच्चियां समाज में अवांछनीय बच्चे की तरह तिरस्कृत होकर न जियें, उनके स्वास्थ्य व कल्याण के लिए समाज चिंतित हो, इसके लिए राज्य सरकार ने अनेक योजनायें स्वीकृत की हैं।

बच्चों एवं महिलाओं के आन्तरिक समाज के पिछड़े वर्गों के विकास में डॉ. रेड्डी काफी रुचि दिखा रहे हैं। एक माने में वे राज्य सरकार को निरन्तर इस दिशा में सचेत किये हुये हैं। वे आरक्षित कोटा में नौकरियों में सभी स्थानों को तुरन्त भरने एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में भी आरक्षण नियमों को लागू करना चाहते हैं। डॉ. रेड्डी ने समाज कल्याण विभागों को भी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रोजगारपरक शिक्षण कार्यक्रम लागू करवाने के लिए प्रेरित किया है।

जनता के बीच राज्यपाल

डॉ. रेड्डी की कार्यशैली अद्भुत व विलक्षण है। वे स्वभाव से ही जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच जाकर ही उन्हें वास्तविक खुशी मिलती है। उत्तर प्रदेश व पंजाब में भी जनता से मिलने, उसके हालचाल जानने के लिए वे दूर-दराज के क्षेत्रों का बराबर दौरा किया करते थे। राजस्थान में भी उनका यही क्रम जारी है। राजभवन के द्वार आम आदमी के लिए खोल दिये गये हैं। वह डॉ. रेड्डी के समक्ष अपनी समस्या, शिकायत व मांग लेकर प्रस्तुत हो सकता है। डॉ. रेड्डी लोगों की पूरी बात सुनते हैं और समस्या को सुलझाने के लिए तुरन्त आदेश देते हैं। वैसे तो "जनता दरबार" में सरकारी अफसर व संबंधित कर्मचारी भी उनके साथ रहते हैं और कई बार वे तुरन्त ही उनसे सम्पर्क करके फरियादी व्यक्ति को उचित आश्वासन व जवाब दे देते हैं।

“जनता दरबार” या “जनता से खुली मुलाकात” कई बार सरकारों को पसंद नहीं आती है और इस मुद्दे पर लोग आलोचना भी करते हैं पर डॉ. रेड्डी “जनता से मिलना” राज्य का प्रथम सम्मानित नागरिक व सरकार का सर्वेसर्वा होने के नाते अपना अधिकार व कर्तव्य दोनों मानते हैं।

पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर

डॉ. रेड्डी का मानना है कि राज्यपाल को दलगत व पक्षपातपूर्ण राजनीति से स्वयं को अलग रखना चाहिए लेकिन जनता को न्याय दिलाने, उनको अधिकार दिलाने आदि में राज्यपाल की दिलचस्पी अनिवार्य है। राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह आंखें बंद दिमाग बंद करके बैठे और सिर्फ सरकारी कार्यों व नीतियों की पुष्टि करे। राज्यपाल संविधान व कानून का एक सजग प्रहरी व राज्य की जनता का संरक्षक होता है और डॉ. रेड्डी अपनी इस भूमिका को बखूबी अंजाम देना चाहते हैं और दे रहे हैं।



